राजस्थान सरकार

डॉ. भीमराव अम्बेड़कर फाउण्डेशन (अम्बेड़कर पीठ),

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

संविधान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता–2022

विषय :– "महिला उत्थान में डॉ अम्बेडकर की भूमिका"

दिनांक :– 27.02.2023 (समय– 2 घंटा, पूर्णांक– 100 अंक)

स्तर :– विद्यालय / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय

Rank -I

कार्यालय उपयोग हेतु	मूल्यांकन हेतु
	78

विद्यार्थी का नाम – TANUNA TEJWANI

पिता का नाम – CHETAN TEJWANI

महाविद्यालय / विधालय का नाम – GOVT. LAW COLLEGE AJMER

जिले का नाम – AJMER

Scanned with OKEN Scanner

2022

राजस्थान सरकार
डॉ. भीमराव अम्बेड़कर फाउण्डेशन (अम्बेड़कर पीठ),
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

संविधान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता–2022

विषय :– "महिला उत्थान में डॉ अम्बेडकर की भूमिका"

दिनांक :– 27.02.2023 (समय– 2 घंटा, पूर्णांक– 100 अंक)

स्तर :– विश्वविद्यालय / महाविद्यालय

कार्यालय उपयोग हेतु	मूल्यांकन हेतु
102	78

Scanned with OKEN Scanner

विषय = "महिला उत्थान में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका"

रूपरेखा :-

प्रस्तावना
1. डॉ. अम्बेडकर से पूर्व महिलाओं की स्थिति
2. डॉ. अम्बेडकर द्वारा किए गए महिला उत्थान के कार्य
3. वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का स्वरुप
4. महिलाओं के लिए करने योग्य कार्य
5. उपसहांर
6

1. प्रस्तावना :- " मैं किसी देश की तरक्की इस चीज से मापता हूँ कि वहाँ महिलाओं की तरक्की कितनी है " । उक्त भीमराव अम्बेडकर द्वारा कथित कथन इस बात का पर्याय है कि स्वयं डॉ. भीमराव अंबेडकर महिला उत्थान के प्रबल पक्षकार थे। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि जिस प्रकार इस समाज में पुरुषों का स्थान है ठीक उसी प्रकार महिलाओं को भी वह स्थान मिलना चाहिए और इसी के लिए बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने सम्पूर्ण जीवन में महिला उत्थान के अनेकों कार्य किए जो सदैव के लिए अविस्मरणीय है। आज यदि कोई बालिका बेखौफ विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त कर पा रही है उसका सम्पूर्ण श्रेय बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को जाता है।

महिलाओं के लिए जो कार्य भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए वह कार्य तो बडे-बडे ऋषि-मुनियों

Scanned with OKEN Scanner

देश-विदेशों में भी दुर्लभ है। 20वीं शताब्दी में पितृसत्ता का पुरजोर विरोध करते हुए बाबा साहब ने जो क्रान्ति लाई उसके पश्चात भी बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को नारीवाद का चेहरा न कहकर मात्र संविधाननिर्माता, दलितों के उद्धारक आदि की उपाधि दी गई।

बाबासाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नजरिए से देखे तो महिलाओं की स्थिति को सुधारना अत्यन्त आवश्यक एवं गंभीर था क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि

"माँ-बाप बच्चों को जन्म दे सकते हैं कर्म नहीं"।

अतः जिस प्रकार बच्चे को जन्म देने के लिए माँ एवं बाप दोनों ही महत्वपूर्ण हैं उसी प्रकार बच्चे के विकास के लिए भी दोनों का कर्तव्य बनता है, जिसके लिए महिलाओं को भी उसी प्रकार की शिक्षा, सम्मान एवं अधिकार दिये जाने चाहिए जिस प्रकार एक पुरुष को दिए जाते हैं।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के इन्हीं अमूल्य विचारों से जो परिवर्तन वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है वह सभी के समक्ष प्रस्तुत है।

बाबासाहब का ही कहना था कि "यदि महिलाओं को उचित अवसर, शिक्षा, सम्मान दिया जाए तो वह हवाई जहाज तक उड़ा सकती हैं।"

और वर्तमान का युग देखे तो आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ महिलाओं का स्थान न हो, प्रत्येक घर में यह नारा गूंजता रहता है कि :-

"आज की नारी सभी पे भारी"।

बाबा साहब की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमें सदैव महिलाओं के लिए अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जिससे वह हर ऊँचाई को छू सके एवं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें।

डॉ अम्बेडकर से पूर्व महिलाओं की स्थिति :- डॉ अम्बेडकर से पूर्व महिलाओं की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि :-

बुद्ध कालीन समय में भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। किसी भी लिंग आधारित भेद को बढ़ावा नही दिया जाता था अपितु बुद्ध ने तो ना सिर्फ वैवाहिक महिलाएँ यथा विवाहित, अविवाहित, वैश्या, तलाकशुदा किसी भी महिला में कोई भेद ना करते हुए सभी को ज्ञान का मार्ग दिखाया। बुद्धकालीन स्त्रियों यथा [illegible] के सुन्दर कथनों को समझे तो उनके अनुसार "महिलाओं का जीवन [illegible] है जिसका वह बहुत आनंद लेती है।" अतः बुद्ध काल में महिलाओं की स्थिति अत्यन्त अच्छी थी

ठीक इसी प्रकार कौटिल्य के समय में भी महिलाओं का स्थान शीर्ष पर था। कौटिल्य द्वारा महिलाओं के लिए इस प्रकार के भी नियम थे कि यदि कोई दम्पत्ति आपसी व्यवहार से खुश नही है तो वह सर्वसम्मति से विवाह विच्छेद कर सकते है तथा पुरुष को महिला के भरण-पोषण का खर्चा उठाना होगा और यदि विच्छेद महिला द्वारा किया जाता है तो पैतृक संपत्ति में महिला का कोई स्थान नही होगा। अतः देखा जाए तो कौटिल्य काल में भी महिलाएँ सम्मानजनक ही रही।

परन्तु, मनु काल मे मनु के विचार महिलाओं के प्रति नकारात्मक थे। इनका मानना था कि "महिलाओं को वैदिक संस्कार की अनुमति नही होती इसलिए वैदिक ज्ञान न होने के कारण महिलाओं को सदैव पुरुषों की आवश्यकता पडती ही है"।

मनु का कहना था कि "बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति एवं वृद्धावस्था में पुत्र ही महिलाओं की रक्षा करे"। स्त्री अकेली किसी काम की नही है। मनु ने रुढिवादी पुरातन विचारों को ही आधार बनाकर महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रहार किया।

अतः देखा गया कि मनु स्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 2 एवं 3 में महिलाओं का लिए प्रकार चित्रण किया गया, वह सदैव ही निंदनीय है।
हम यह कह सकते हैं कि मनुकाल से ही महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई।

3. डॉ. अम्बेडकर द्वारा किए गए महिला उत्थान के कार्य :- जैसे हर बुराई का अंत करने के लिए किसी मसीहा का जन्म होता है ठीक इसी प्रकार महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए बाबासाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का भी आगमन हुआ।
बाबासाहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए जो अविस्मरणीय है तथा निम्नानुसार है :-

1. **नारी शिक्षा का अधिकार :-** बाबासाहब का मानना था कि महिलाओं को यदि पुरुषों के बराबर लाना है तो सर्वप्रथम उन्हें शिक्षित किया जाए क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार जो बड़े से बड़े पत्थर को भी काट सकता है। अतः महिलाएँ शिक्षित हुई तो वह अपने सम्पूर्ण परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करेगी।
"एक पुरुष शिक्षा प्राप्त करता है तो इससे एक कुल रोशन होता है परन्तु जब एक स्त्री शिक्षा प्राप्त करती है तो वह दो कुलों का मान बढ़ाती है।" इसी अनूठे विचार के साथ बाबा साहब ने नारी शिक्षा पर अत्यन्त बल दिया तथा सभी को समझाया कि शिक्षा पर स्त्री पुरुष दोनों का अधिकार है तथा यह तुम्हारी नियति है जिससे तुम महान बनोगे

2. **प्रसुता अवकाश के लिए कार्य :-** वर्तमान में गर्भवती महिला को 26 हफ्तों का प्रसुता अवकाश दिया जाता है जो बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की ही देन है। बाबा साहब उस ज़माने में भी इतना सोचकर महिलाओं के लिए कार्य करते रहे जो उस समय के बड़े-बड़े देशों के लोग यथा अमेरिका, ब्रिटेन के मन-मास्तिष्क में भी नहीं था।

बाबा साहब ने प्रसुता अवकाश को तब लागू किया जब महिलाओं को चार-दीवारी में कैद रखा जाता था वहीं कामकाजी महिलाओं के लिए लिया गया ये कदम सदैव वंदनीय है।

3. **लैंगिक समानता का अधिकार :-** बाबासाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माता के रूप में आर्टिकल 14 से 16 में विशेष रूप से नियम बनाए कि किसी भी स्त्री के साथ सिर्फ इसलिए कि वह स्त्री है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाबा साहब के कानून मंत्री बनने पर उन्होंने इस बात पर पूर्ण ध्यान केन्द्रित किया कि किसी भी स्त्री को किसी भी अवसर से लिंग के आधार पर भेद करते हुए वंचित ना रखा जाए।

4. **मताधिकार :-** बाबा साहब ने महिला उत्थान के लिए यह अनूठा कदम बढ़ाया कि महिलाओं को भी पुरुषों के साथ मत देने का अधिकार प्राप्त हो। प्रत्येक महिला का यह अधिकार है कि वह अपनी चेतना से सोच-विचार कर अपने मत देने के अधिकार का प्रयोग करे। इसी का नतीजा है कि

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान में 18 वर्ष पूर्ण होते ही महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्राप्त

5. **हिन्दू कोड बिल :-** महिलाओं को संवैधानिक रूप से बराबरी का दर्जा देने के लिए भीमराव अंबेडकर द्वारा हिन्दू कोड बिल प्रस्तावित किया गया जिसके प्रमुख 4 भाग थे :-

1. हिन्दुओं में बहुविवाह पद्धति को खत्म कर एक ही विवाह करना।
2. महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार देना।
3. महिलाओं को तलाक लेने एवं बच्चा गोद लेने का अधिकार।
4. प्रगतिशील वातावरण को देखते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाना तथा उनका सशक्तिकरण करना।

6. **महिलाओं को कुरीतियों से बचाना :-** बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिलाओं को विभिन्न अधिकार देकर कुरीतियों से बचाया ताकि महिलाएं अपना जीवन सुखमय तरीके से निकाल सके।
बाल विवाह, जाति प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध बाबा साहब ने पर्याप्त नियम बनाए एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार किया।

Scanned with OKEN Scanner

5. वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का स्वरूप :- बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनूठे प्रयासों व सतत कड़ी मेहनत का परिणाम हमें आज की नारी में देखने को मिलता है:-

वो रचती है,
वो हँसती है,
बनकर गृहिणी घर को सजाती है।
वो शक्ति है,
वो भक्ति है,
फिर भी वो पीड़ित क्यों दिखती है।

उपरोक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं जिसकी कल्पना भी युगों पूर्व नहीं की गई थी परन्तु यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आज महिलाओं को जिन चीजों का सामना करना पड़ता है वह अपनेआप में ही शर्मनाक है।

जिस प्रकार महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है वह काबिलेतारीफ है आज की महिला शिक्षित है, सर्वशक्ति है, अच्छे-बुरे की पहचान जानती है परन्तु इसी स्थिति के बीच महिलाएँ आज महिलाओं को यौन उत्पीड़न, बलात्कार जैसी भयावह स्थितियों से भी गुजरना पड़ रहा है जो कदापि सहनीय नहीं है। "निर्भया" का नाम शायद ही कोई अपने ज़हन से कभी निकाल पाए।

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान समय में एक ओर महिलाएँ हर उपाधि प्राप्त कर रही है। आज के समय में ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ महिलाएं ना पहुँच सकी हो। सरकार के अमूल्य सहयोग तथा विभिन्न योजनाओं यथाः-

- इंदिरा गाँधी योजना
- स्वाधार योजना
- सुकन्या समृद्धि योजना
- उज्ज्वला योजना
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम

के प्रभाव से महिलाएँ उस शीर्ष पर पहुँच चुकी है जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन्हे देखना चाहते थे।

इसी के साथ ही नकारात्मक पहलूओं की ओर ध्यान केन्द्रित करे तो हम पाएंगे कि महिलाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है चाहे वह यौन संबंध रूप में हो, बलात्कार हो, महिलाओ पर अत्याचार हो वह कभी माफ ना किए जाने वाला व्यवहार है।

अतः सम्पूर्ण निष्कर्ष के रूप में देखे तो बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों व कार्यान्वयन को प्रयोग मे लाना अभी बाकी है।

सम्पूर्ण रूप से जब बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के विचारो को अपना लिया जाएगा। महिलाओं का स्तर और ऊँचा हो जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

5. महिलाओं के लिए करने योग्य कार्य :-

1. स्त्री सुरक्षा की व्यवस्था करना :-

सर्वप्रथम महिलाओ की वर्तमान स्थिति का कारण "स्त्री असुरक्षा" है। आज महिलाएँ पढ तो लेती है परन्तु डर की वजह से उनके माता-पिता उन्हे कही भेज नही पाते।

इसलिए सरकार को स्त्री सुरक्षा के लिए कडे नियम एवं कानून लाने चाहिए जिससे कोई भी गलत व्यक्ति स्त्रियों को गलत नजर से देखने से पहले भी विचार करे।

2. स्त्रियो को विभिन्न कार्यक्रमो द्वारा प्रेरित करना :-

जिस प्रकार "बेटी बचाओ, बेटी पढाओ" जैसे आंदोलन लाए गए है ठीक उसी प्रकार स्त्रियो के कौशल एवं विकास को बढावा देने के लिए शिविरो व कार्यक्रमो द्वारा महिलाओ को प्रेरित करना चाहिए कि

"आज की नारी अबला नही सबला है"

वह जो चाहे वो कर सकती है॥

3. प्रत्येक विद्यालय एवं महाविद्यालय, सरकारी कार्यालयों सभी की तरफ से महिलाओं की आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाए:-

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनूठी पहल के रूप में इस नियम को लागू किया जाना चाहिए कि प्रत्येक महिला को आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाए जिससे वह स्वयं का बचाव प्रत्येक स्थिति में कर सके

4. महिलाओं को विभिन्न अवसर उपलब्ध करवाना:-

वर्तमान में महिलाओं के पास अवसरों की कोई कमी नहीं है परन्तु फिर भी भिन्न-भिन्न आधार पर महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

यदि किसी महिला की कोई विशेष कला है यथा - सौन्दर्य में, खाना बनाने में, नृत्य करने में, गाना गाने में, सिलाई में, क्रिकेट में, विभिन्न कार्यों में तो उसकी विशेष कला को उभारते हुए महिलाओं को अवसर प्रदान किए जाए जिससे प्रत्येक क्षेत्र-विशेष में महिलाएँ अपना नाम रोशन कर सके।

Scanned with OKEN Scanner

5. महिलाओं को आत्मवलोकन का ज्ञान दिया जाए :-

महिलाएँ यह भूल जाती हैं कि पहले वह एक लड़की / स्त्री / महिला है किसी की पुत्री, बहन, पत्नी, माँ बाद में।
अतः विभिन्न कार्यक्रमों, शिविरों, संगोष्ठियों का आयोजन करके महिलाओं को आत्मवलोकन का ज्ञान दिया जाना चाहिए।
उन्हें समझाना चाहिए कि जब वह खुद सबल होंगी तो वह अपने सम्पूर्ण परिवार, समाज, देश को सम्भाल पाएँगी।

नारी : मैं आज की नारी .....

आज भी भारत में यही संस्कृति है कि :-

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:"

परन्तु कुछ लोग इस संस्कृति को धूमिल कर देते हैं। इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से आवश्यकता है कि वह अपना आत्मवलोकन करें तथा खुद का, अपने परिवार का, अपने समाज का तथा सम्पूर्ण देश का नाम रोशन करें।

Scanned with OKEN Scanner

6. उपसंहार :-

"मैं किसी देश की तरक्की इस चीज से मापता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है"।

अंबेडकर जी के इन्ही विचारो से प्रारंभ एवं अंत करते हुए बाबा साहब डॉ भम्बेडकर जी के विचारो को शत शत नमन करते है तथा जिस प्रकार बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को उच्च शीर्ष पर पहुँचाने की कल्पना की थी तथा सम्पूर्ण कार्य किए थे उन्हीं विचारो को आगे बढ़ाते हुए महिला उत्थान के सम्पूर्ण कार्य सपन्न किए जाए तो महिलाओ का स्थान कोई नही ले सकेगा।

जिस प्रकार एक गाडी के सही चलने के लिए दोनो पहियों का सही होना जरूरी है ठीक उसी प्रकार समाज को प्रगति करने के लिए पुरुष एवं महिला का एकसाथ खडे रहना जरूरी है।

"महिलाएँ है जीवन का आधार,
इसे ना कहो तुम बेकार ॥"

Scanned with OKEN Scanner

महिलाओं को जिस प्रकार प्रगति पर ले जाया जा रहा है वह अत्यन्त ही सुखमय है इसी तरह अंबेडकर जी के विचारों को अपनाते हुए महिलाओं के उत्थान कार्य किए जाने चाहिए।

अथ

राजस्थान सरकार

डॉ. भीमराव अम्बेड़कर फाउण्डेशन (अम्बेड़कर पीठ),

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

संविधान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता–2022

विषय :– "महिला उत्थान में डॉ अम्बेडकर की भूमिका"

दिनांक :– 27.02.2023 (समय– 2 घंटा, पूर्णांक– 100 अंक)

स्तर :– विद्यालय / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय

कार्यालय उपयोग हेतु	मूल्यांकन हेतु
	77

Rank - II

विद्यार्थी का नाम – REENAL JAIN

पिता का नाम – SUJEET JAIN

महाविद्यालय / विधालय का नाम – B.N. COLLEAGE OF

जिले का नाम – UDAIPUR

Scanned with OKEN Scanner

B. R. Ambedkar Foundation Jaipur

राजस्थान सरकार
डॉ. भीमराव अम्बेड़कर फाउण्डेशन (अम्बेड़कर पीठ),
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

संविधान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता–2022

विषय :– "महिला उत्थान में डॉ अम्बेडकर की भूमिका"

दिनांक :– 27.02.2023 (समय– 2 घंटा, पूर्णांक– 100 अंक)

स्तर :– विश्वविद्यालय / महाविद्यालय

कार्यालय उपयोग हेतु	मूल्यांकन हेतु
164	77

Scanned with OKEN Scanner

महिला उत्थान में

डॉ. अम्बेडकर

की भूमिका

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तावना -

" करे गुज़र गए वो भीम थे,
दुनिया को जगाने वाले भीम थे।
हमने तो बस इतिहास पढ़ा है यारों,
इतिहास बनाने वाले भीम थे ॥"

• बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, विधिवेत्ता होने के साथ-साथ समाज सुधारक भी थे।

भारत में जब कोई नारीवाद का नाम भी ढंग से नहीं जानता था, उस वक्त बाबा साहब ने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती दी थी व महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसे काम किए जिससे आज महिलाएँ अंतरिक्ष तक पहुँच चुकी हैं।

Scanned with OKEN Scanner

प्राचीन मनुस्मृति का दहन -

भारत सामाजिक व्यवस्था के तौर पर पितृसत्तामक है। मनुस्मृति जैसी प्राचीन किताबों में महिलाओं को अत्यधिक नीचे दर्जे का दर्शाया गया था व सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था।

बाबा साहब ने प्राचीन मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया क्योंकि इसमें महिलाओं को गुलाम बनाने के तरीके लिखे थे। प्राचीन मनुस्मृति का दहन कर बाबा साहब ने नारी सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाई।

"पुरानी प्रथाओं से ऊपर उठकर,
बाबा साहब ने नई शुरुआत करी।
महिलाओं का दर्जा उठाने की खातिर,
मनुस्मृति भी दहन करी ॥"

हिन्दू कोड बिल -

बाबा साहब का मानना था कि धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेकर संपूर्ण महिला जाति के साथ अत्यधिक भेदभाव व जुल्म किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

हिन्दू कोड बिल लैंगिक भेदभाव पर आधारित पितृसत्तात्मक ढाँचे से निजात पाने का एक प्रयास है।

11 अप्रैल 1947 में बाबा साहब ने हिन्दू कोड बिल को संविधान सभा के समक्ष पेश किया था।
इसके 4 मुख्य अंग थे :-

(i) हिन्दू समाज में बहुविवाह की प्रथा को खत्म कर केवल एक ही विवाह का प्रावधान, जो विधिसम्मत हो।

(ii) महिलाओं को संपत्ति में अधिकार व बच्चे गोद लेने का अधिकार।

(iii) पुरुषों के समान महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार।

(iv) आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकीकृत कर मज़बूत करना।

Scanned with OKEN Scanner

जब इसका प्रारूप तैयार कर हिन्दू कोड बिल संसदीय पटल पर चर्चा हेतु रखा गया तब इसकी प्रशंसा से अधिक इसकी भर्तसना हुई।

7 सितम्बर 1951 को बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मकसद पूरा न होने पर सत्ता छोड़ देना एक निस्वार्थ समाजसेवी की पहचान है। बाद में फिर हिन्दू कोड बिल के प्रावधानों को अलग - अलग अधिनियमों के रूप

में व्यवहार में लाया गया जैसे –

(i) हिन्दू विवाह अधिनियम
(ii) हिन्दू तलाक अधिनियम
(iii) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम
(iv) हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम

यह नियम सन् 1955-56 में लागू हुआ।

" महिलाओं के अस्तित्व को किया मजबूत,
बाबा साहब ने दिया कानून को ऐसा स्वरूप ।।"

नारी शिक्षा -

"नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग-पट तल में।
पीयूष स्रोत सी बहा करो,
जीवन के सुंदर समतल में॥"

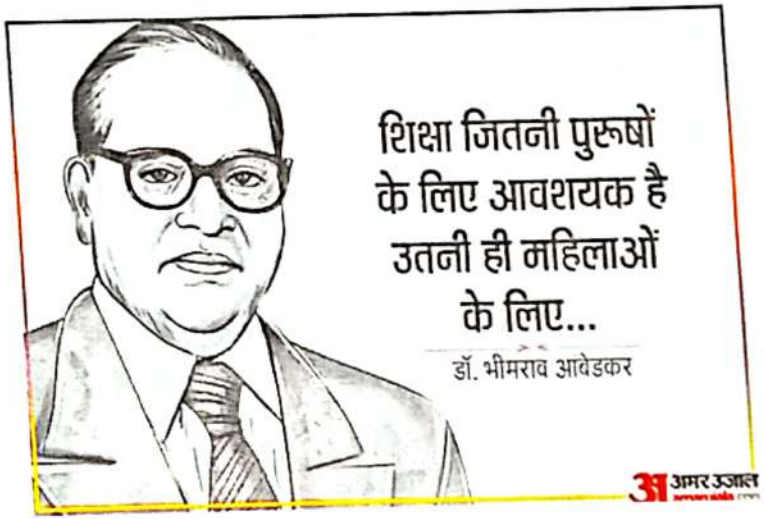

नारी मुक्ति के वाहक डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान से जिंदगी जीने पर ज़ोर देते हुए 2 मूलमन्त्र दिए हैं -
प्रथम, शिक्षित बनो, संघठित रहो और संघर्ष करो।

Scanned with OKEN Scanner

द्वितीय, 'अन्तदीपो भवः' अर्थात् अपना दीपक स्वयं बनो।
बाबा साहब का मानना था कि यदि किसी घर में एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।

बाबा साहब कहते थे कि नारी 'राष्ट्र निर्मात्री है'। वह जीवन का मूल है, धाया है, भार्या है, सहयोगी है, पूजनीय है। इसलिए नारी को शिक्षित होकर समाज व देश की उन्नति में सहयोग करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

बाबा साहब पुरुषों के साथ - साथ महिलाओं की शिक्षा को भी उतना ही जरूरी मानते थे। उनका कहना था कि, " मैं किसी समाज की उन्नति, वहाँ की महिलाओं की उन्नति से मानता हूँ।

"उच्चतम शिक्षित भारतीय नागरिक का खिताब था पाया,
देकर अपना अमूल्य योगदान, नारी को शिक्षित बनाया।"

महिला उत्थान हेतु अखबारों की स्थापना -

मूकनायक

डॉ० अम्बेडकर

बाबा साहब ने महिला उत्थान हेतु 2 मुख्य अखबारों की स्थापना की। 'मूकनायक' और 'बहिष्कृत भारत' नामक अखबार महिला सशक्तिकरण का मुख्य केन्द्र थे। समाज में महिलाओं की स्थिति दर्शाने व उसके उत्थान हेतु बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था

Scanned with OKEN Scanner

'हिन्दू नारी और उत्थान और पतन'।

" महिलाओं को दे शिक्षा सम्मान,
बाबा साहब ने बना दिया भारत महान ।"

प्रसूति अवकाश –

महिलाएँ विकास के रथ का दूसरा पहिया हैं। बाबा साहब ने कामकाजी महिलाओं के लिए वेतन समेत प्रसूति अवकाश का समर्थन किया था। आज महिलाएँ 26 हफ़्तों की प्रसूति अवकाश ले सकती हैं क्योंकि बाबा साहब ने

Scanned with OKEN Scanner

उन्हें यह अधिकार दिलाए थे।

10 नवम्बर 1938 को बाम्बे लेजिस्लेटिव असेम्बली में बाबा साहब ने महिलाओं से जुड़ी समस्या के मुद्दों को ज़ोरों-शोरों से उठाया था। यह फिर प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के रूप में व्यवहार में लाया गया।

"महिलाओं का उत्थान कर जिसने भारत को सींचा है।
वह डॉ. अम्बेडकर आज भी हमारे लिए विजेता है॥"

Scanned with OKEN Scanner

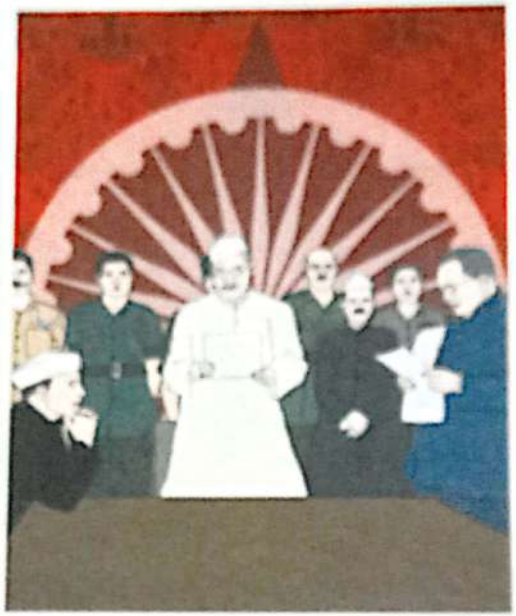

लैंगिक समानता -

बाबा साहब ने महिलाओं को भी पुरुषों के मुकाबले समान अधिकार दिए। आर्टिकल 14 से 18 में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार का प्रावधान है।

मताधिकार –

बाबा साहब ने महिलाओं को भी समान मताधिकार दिया। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तब उन्होंने महिलाओं को भी पुरुषों की भाँति समान मताधिकार दिए।

आज 18 वर्ष का होते ही महिलाएँ मत देने का अधिकार रखती हैं क्योंकि बाबा साहब ने उन्हें ये अधिकार दिलाए।

"कोमल है कमजोर नहीं तू,
शक्ति का नाम ही नारी है।
जग को जीवन देने वाली,
मौत भी तुझसे हारी है॥"

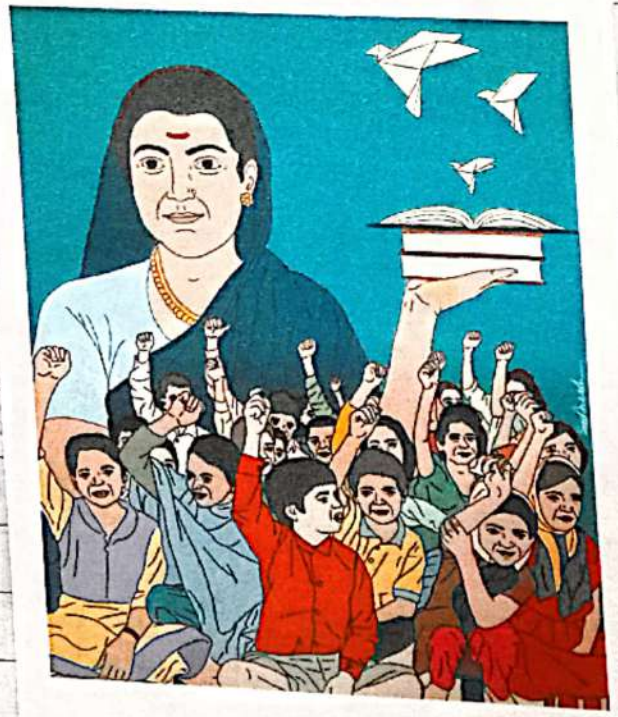

• तलाक, संपत्ति व गोद लेने का अधिकार –

बाबा साहब ने संविधान के ज़रिए महिलाओं को वह सभी अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने नकारे थे।
बाबा साहब ने राजनीति और संविधान के ज़रिए लैंगिक भेदभाव से बनी स्त्री - पुरुष के बीच की गहरी खाई को पाटने का सार्थक प्रयास किया है।
महिलाओं को पति या पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी, तलाक देने का अधिकार व बच्चे गोद लेने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिलाए थे।

Scanned with OKEN Scanner

"नारी को न समझो बेकार,
जीवन का है यह आधार।"

पुरानी कुरीतियों को किया समाप्त -

बाबा साहब ने असहाय महिलाओं को उठकर लड़ने की प्रेरणा दी व बाल विवाह व देवदासी प्रथा जैसी पुरानी प्रथाओं को समाप्त करने का कल्याणकारी व परिवर्तनकारी प्रयास किया।

1928 में मुंबई में एक महिला कल्याणकारी संस्था की स्थापना
गई जिसकी अध्यक्षा बाबा साहब की पत्नी रमाबाई थी।

"करके महिलाओं का उत्थान,
बाबा साहब ने किया समाज उद्धार।"

Scanned with OKEN Scanner

उपसंहार -

महिला उत्थान के लिए बाबा साहब के प्रयास मील का पत्थर साबित हुए। महिला उत्थान के लिए बाबा साहब ने एक जुनूनी लड़ाई लड़ी। बाबा साहब किसी भी समाज की प्रगति, वहाँ की महिलाओं की प्रगति से मानते थे। उनकी इन्हीं विचारों के कारण लोग उन्हें नारीवाद का बड़ा नेता मानते हैं। बाबा साहब ने संविधान के ज़रिए महिलाओं को वह सभी अधिकार दिलाए जो मनुस्मृति ने नकारे थे।

बाबा साहब महिला अधिकारों के अग्रदूत बने व महिला उत्थान में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अतः डॉ. अम्बेडकर की महिला उत्थान में अत्यन्त सराहनीय भूमिका रही है।

"डॉ. भीमराव अम्बेडकर देश की शान हैं,
हर देशवासी के हृदय में विराजमान हैं।
समाज व देश के लिए किए बड़े काम हैं,
हमारे बाबा साहब अम्बेडकर महान हैं॥"

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

डॉ. भीमराव अम्बेड़कर फाउण्डेशन (अम्बेड़कर पीठ),

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

संविधान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता–2022

विषय :– "महिला उत्थान में डॉ अम्बेडकर की भूमिका"

दिनांक :– 27.02.2023 (समय– 2 घंटा, पूर्णांक– 100 अंक)

स्तर :– विद्यालय / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय

Rank – III

कार्यालय उपयोग हेतु	मूल्यांकन हेतु
	76

विद्यार्थी का नाम – KANIKA MATHUR

पिता का नाम – SANDEEP MATHUR

महाविद्यालय / विधालय का नाम – SHRI KRISHNA SATSANG BALIKA MAHAVIDYALAYA SIKAR

जिले का नाम – SIKAR

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
डॉ. भीमराव अम्बेड़कर फाउण्डेशन (अम्बेड़कर पीठ),
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

संविधान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता–2022

विषय :– "महिला उत्थान में डॉ अम्बेडकर की भूमिका"

दिनांक :– 27.02.2023 (समय– 2 घंटा, पूर्णांक– 100 अंक)

स्तर :– विश्वविद्यालय / महाविद्यालय

कार्यालय उपयोग हेतु	मूल्यांकन हेतु
156	76

Scanned with OKEN Scanner

निबंध: महिला उत्थान में डॉ० अम्बेडकर की भूमिका

रूपरेखा:

1. प्रस्तावना (250 शब्द)
2. संविधान में महिलाओं को 'विशेषाधिकार' दिलवाने में डॉ० अम्बेडकर की भूमिका (500-शब्द सीमा)
3. 'महिला शिक्षा' में डॉ० अम्बेडकर की भूमिका (500 शब्द)
4. महिलाओं को 'मातृत्व लाभ' दिलवाने में डॉ० अम्बेडकर की भूमिका (500 शब्द).
5. उपसंहार/ निष्कर्ष (250 शब्द)

शब्द सीमा – 2000

250 (प्रस्तावना) + 500 + 500 + 500 (विषय-वस्तु) + 250 शब्द (उपसंहार) = 2000 शब्द

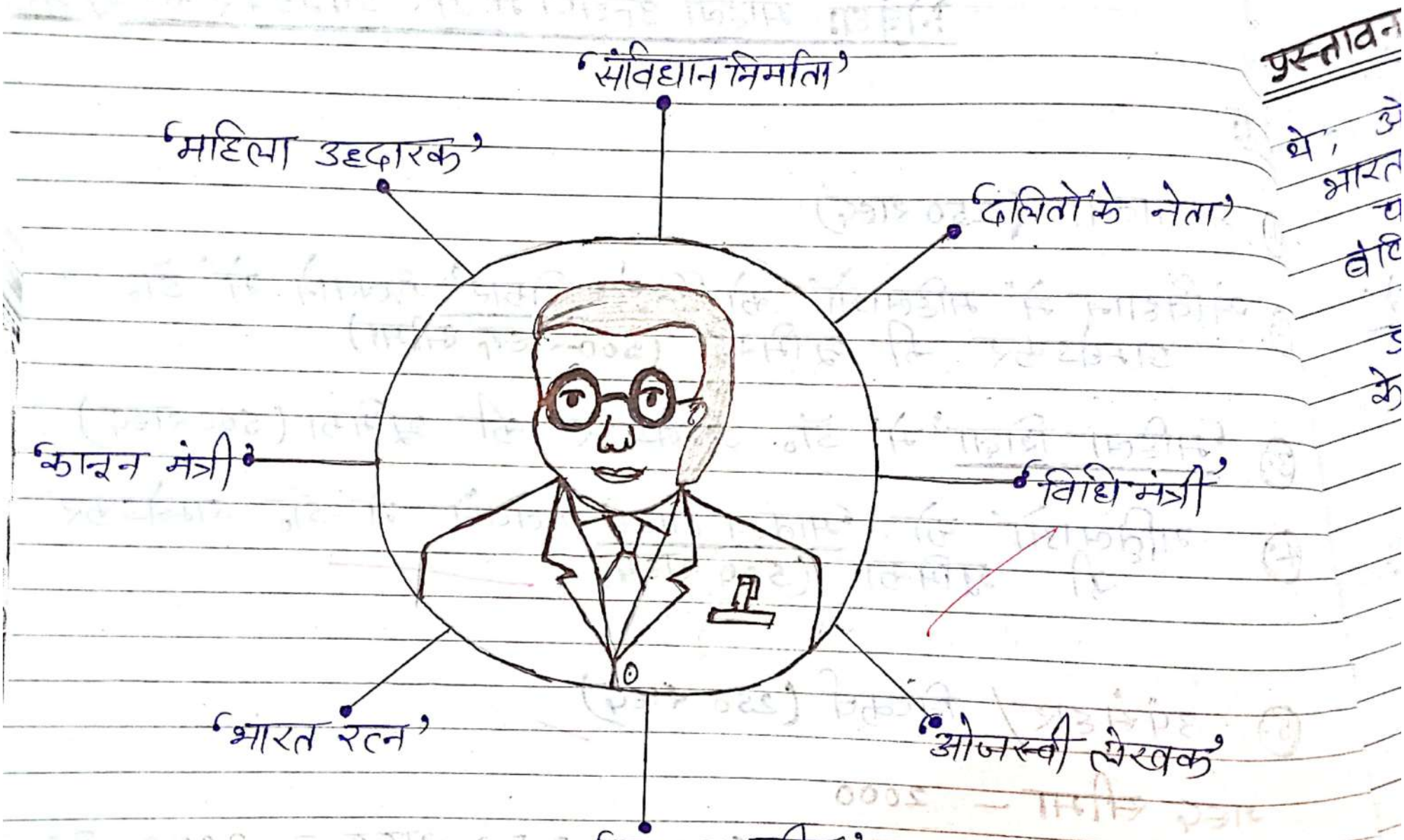

चित्र: डॉ० भीमराव अम्बेडकर

प्रस्तावना:-

15 अगस्त 1947 की सुबह हम भारतीय आजाद थे, और आज भी हैं। परन्तु भारत की महिलाएं, जो की भारत की आधी आबादी हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी आजाद नहीं थी। महिलाएं कई रूढ़िवादी बंदिशों में कैद थी। जब भारत में नारीवाद का कोई नाम भी ढ़ंग से नहीं जानता था। तब डॉ० 'अम्बेडकर' ने नारी सशक्तिकरण व 'महिला उत्थान' के लिए ऐसे अतुलनीय योगदान दिये, जिससे आज भी भारत की महिलाएं काफी हद तक सशक्त हैं। 20 शताब्दी में डॉ० 'अम्बेडकर' जी ने ब्रह्मणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती दी। और रूढ़िवादी बंदिशों में कैद महिलाओं को शिक्षित किया। एवं शिक्षा के साथ-साथ संविधान में महिलाओं को मौलिक अधिकार एवं बहुत से विशेषाधिकार डॉ० 'अम्बेडकर' जी की देन है। इसके अतिरिक्त डॉ० 'अम्बेडकर' जी ने महिलाओं को 'मातृत्व लाभ' (मेटरनीटि बैनेफिट्स) दिलावाएं। परन्तु यह भारतीय समाज की यह विडम्बना है। कि के उन्होंने डॉ० 'अम्बेडकर' को 'दलितों का नेता' और 'संविधान निर्माता' तक ही सीमित रख दिया है।

परन्तु मेरे अनुसार 'भारतीय महिला आन्दोलन' का प्रतीक चिन्ह भी डॉ० अम्बेडकर जी को ही होना चाहिए। और उन्हें 'महिला उद्धारक' के नाम से भी जाना जाना चाहिए।

② संविधान में महिलाओं को विशेषाधिकार दिलवाने के में डॉ० अम्बेडकर की भूमिका :-

यह सत्य " संविधान वकीलों का दस्तावेज ही नहीं; जीवन का एक माध्यम है।"

—— डॉ० अम्बेडकर

यह सत्य है, कि महापुरुष अधिकारों की माँग न करके कर्तव्यों का पालन करते हैं। परन्तु डॉ० भीमराव अम्बेडकर के सम्बंध में यह बिलकुल गलत है, क्योंकि उन्होंने जितने अधिकार माँगे उतने किसी ने भी नहीं। परन्तु वे सदैव सत्य के लिए लड़ते थे। और अधिकार भी उन्होंने स्वयं के लिए अपितु महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों दलितों आदि के लिए माँगे। इसलिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। संविधान में कुछ विशेष अधिकार हैं, जो महिलाओं के लिए हैं।

अनुच्छेद 14- 'विधि के समक्ष समता' अर्थात् विधियों के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार।
इसके तहत चाहे महिला हो या पुरुष, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। एवं विधि के समक्ष पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों को भी समान संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 15- इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15(3) में राज्य सरकार को महिलाओं के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात् न्यायालय द्वारा भी राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बनाये गये विशेष ~~निर्णय~~ नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जावेगा।

अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार है। अर्थात् वे देश के किसी भी क्षेत्र में निवास, आवागमन एवं व्यवसाय कर सकती है।

अनुच्छेद 42 के अन्तर्गत महिलाओं को प्रसूति व्यवस्था' प्रदान की गयी है। एवं 135 दिन का 'प्रसूति अवकाश' भी इसी के तहत आता है।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद 23-24 के अन्तर्गत महिलाओं को शोषण मानीगरिमा के लिए ठीक न मानकर खरीद महिलाओं की खरीद बिक्री, वेश्यावृति, जबरदस्ती आदि जुर्मों को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है एवं ऐसे होने पर उचित दण्ड का प्रावधान इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आता है।

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत की संविधान सभा, संविधान बनाने में लगी थी। तभी डॉ॰ अम्बेडकर ने 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में 'हिन्दु कोड बिल' पेश किया। हांलाकि जितनी दृढ़ता के साथ यह बिल डॉ॰ अम्बेडकर ने पेश किया, उतनी ही दृढ़ता के साथ इसका विरोध भी हुआ। 27 सितम्बर 1951 को डॉ॰ अम्बेडकर ने अपने 'कानूनी मंत्री' पद से इस्तीफा दे दिया। मकसद पूरा न होने पर सत्ता छोड़ना निःस्वार्थ समाजसेवी की पहचान है। ~~फिर कुछ बजा~~ ऐसा डॉ॰ अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति के अलावा शायद ही कोई कर सकता है। कुछ वर्षों बाद 1951-52 में 'हिन्दु कोड बिल' निम्नलिखित चार अलग-अलग अंगों में पारित किया गया —

1. हिन्दू विवाह अधिनियम
2. हिन्दू तलाक अधिनियम
3. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम
4. हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम

➤ हाल ही में 11 अगस्त 2020 को हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के तहत 'महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति का अधिकार' मिला है। यह महिलाओं के लिए तो लाभकारी है ही, साथ ही साथ डॉ० अम्बेडकर के 'हिन्दू कोड बिल' की भी जीत है। यह डॉ० अम्बेडकर की वजह बदौलत ही हो पाया है।

केस-
➤ [पी० बी० विजय कुमार बनाम मध्यप्रदेश]
(एआईआर - 333। सर्वोच्च न्यायालय 2008)

उसके अन्तर्गत सरकारी नौकरियों में उम्मीदवारों के तुलना में पद कम होने पर 'महिलाओं को नौकरी में वरीयता' दी जायेगी।

अतः डॉ० अम्बेडकर जी 'संविधान निर्माता' के साथ-साथ 'महिला उद्धारक' भी हैं।

③ 'महिला शिक्षा' में डॉ० अम्बेडकर की भूमिका :-

डॉ० अम्बेडकर शिक्षा का महत्व भली भाँति जानते थे। उनका मानना था कि "शिक्षा वह शेरनी है, जिसका दूध जो पिएगा वही दहाड़ेगा।" डॉ० अम्बेडकर 'महिला शिक्षा' के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था, कि

"शिक्षा का अधिकार महिलाओं को भी उतना ही है, जितना पुरुषों को।"

—— डॉ० भीमराव अम्बेडकर

डॉ० अम्बेडकर महिला शिक्षा के प्रति बहुत गम्भीर थे। सन् 1928 में मुम्बई में उन्होंने 'महिला कल्याणकारी संस्था' की स्थापना की। जिसकी अध्यक्ष उनकी पत्नी 'रमाबाई' थी। सन् 1942 में उन्होंने 'आखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन' रखा। जिसमें करीब 25 हजार महिलाएँ शामिल थी। उस समय इतनी महिलाओं का शिक्षा के लिए एकजुट होना बहुत बड़ी बात थी। यह दोनों संस्थाएँ ही महिला शिक्षा को काफी हद तक प्रसारित करती रही।

18 जुलाई 1927 को एक संगोष्ठी में करीब 3000 महिलाओं के समक्ष एक भाषण में उन्होंने कहा था, कि

"मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ, जो महिलाओं ने हासिल की है।"

—— डॉ० अम्बेडकर जी

उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट होता है, कि डॉ० अम्बेडकर महिलाओं की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे।

25 दिसम्बर 1927, को डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने 'मनुस्मृति का दहन' इसलिए नहीं किया, क्योंकि उसमें दलितों व शुद्रों के लिए बुरा लिखा था, अपितु इसलिए किया, क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं को शिक्षा का अधिकारी नहीं माना गया। एवं उनको वश में करने के तरीके थे। इसीकारण डॉ० अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति की कड़ी आलोचना की है। डॉ० अम्बेडकर ने कहा था, कि;

"यदि हमें विकास के शिखर पर पहुँचना है, तो हम हमें महिलाओं को शिक्षित व सशक्त करना होगा।"

—— डॉ० अम्बेडकर जी

Scanned with OKEN Scanner

④ महिलाओं को 'मातृत्व लाभ' दिलवाने में डॉ० अम्बेडकर की भूमिका :-

डॉ० अम्बेडकर के विचार महिलाओं के लिए बहुत सहानुभूतिपूर्ण एवं महान थे। वे महिलाओं को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखते थे। एवं उनके विचार थे, कि एक महिला त्याग, बलिदान, स्नेह एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति होती है। डॉ० अम्बेडकर ने महिलाओं के मौलिक अधिकार, महिला शिक्षा के अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर भी गौर किया। और वो था महिलाओं के लिए 'मेटरनीटी लीव' (मातृत्व अवकाश)। आज बहुत सी कामकाजी महिलाए 26 हफ्तों का 'मातृत्व अवकाश' डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी की ही बदौलत ले पा रही है।

सन् 1938 में डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी ने 'बॉम्बे लेजिसलेटिव असेम्बली' में महिलाओं की समस्या से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। इसके साथ-साथ उन्होंने प्रसव के दौरान होने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बंधी चिंताओं पर भी अपने विचार रखे।

> सन् 1952 में डॉ॰ अम्बेडकर ने संविधान सभा में 'मेटरनीटी बेनेफिट बिल' पेश किया। जो महिलाओं के लिए आज अत्यन्त लाभप्रद साबित हो रहा हैं।
~~सन् 1948 में डॉ॰ अम्बेड~~

> सन् 1948 में डॉ॰ अम्बेडकर ने 'एम्प्लोयज स्टेट ऑफ इन्श्योरेन्स एक्ट' पारित किया।

डॉ॰ अम्बेडकर ने 'वायसराय कार्यकारिणी सभा' में 'मातृत्व लाभ विधेयक' प्रस्तुत किया।

> डॉ॰ अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद - 42 बनाया जिसके तहत महिलाओं को 'प्रसूति व्यवस्था' प्रदान की गयी है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं को 135 दिन की 'प्रसूति अवकाश' भी संविधान के अनुच्छेद - 42 के तहत प्रदान की गयी हैं।

इस प्रकार, डॉ॰ अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं के लिए 'प्रसूति अवकाश', 'मातृत्व अवकाश', 'प्रसूति व्यवस्था' के साथ-साथ 'मातृत्व विधेयक' में भी अद्भुत भूमिका निभाई है।

Scanned with OKEN Scanner

(5.) उपसंहार/निष्कर्ष :-

अतः यह कहा जा सकता है, कि 'महिला उत्थान में डॉ० अम्बेडकर की भूमिका' अद्वितीय, अविस्मरणीय एवं अतुलनीय है। डॉ० अम्बेडकर जी के महिलाओं के प्रति योगदान की तुलना किसी महान से नहीं की जा सकती। डॉ० अम्बेडकर ने महिलाओं को शिक्षित किया। उसी पीढ़ी-दर-पीढ़ी महिलाएं शिक्षित होती चली गयी। और आज भारत में महिलाएं डॉ० अम्बेडकर की ही बदौलत शिक्षित एवं सशक्त हैं। डॉ० अम्बेडकर ने महिलाओं को 'मौलिक अधिकार', 'स्वतंत्रता का अधिकार', 'शोषण के विरुद्ध-अधिकार', 'पैतृक सम्पत्ति का अधिकार', 'सरकारी नौकरियों में वरीयता', 'कानूनी समानता', 'लैंगिक समानता', 'महिला शिक्षा', 'तत्काल का अधिकार', 'आरक्षण', 'विवाह का अधिकार', 'मातृत्व विधेयक', 'प्रसूति व्यवस्था', 'मातृत्व-लाभ', 'मातृत्व अवकाश', 'प्रसूति अवकाश' आदि अधिकार प्रदान करके समस्त नारी जाति पर उपकार किया है।

डॉ० अम्बेडकर ने केवल दलितों या दलित महिलाओं के लिए ही नहीं, सामान्य वर्ग की महिलाओं अपितु समस्त 'महिला वर्ग' को ही आरक्षण दिलवाया है। परन्तु फिर भी बहुत सी सामन्य वर्ग की महिलाएँ भी डॉ० अम्बेडकर की निन्दा करती है। महिला उत्थान में जितना योगदान डॉ० अम्बेडकर ने दिया, उतना शायद ही किसी भारतीय नेता ने दिया होगा। परन्तु आज यह कि विडम्बना है, कि हम डॉ० अम्बेडकर को 'संविधान निमाता' एवं 'दलितों के नेता' तक ही सीमित रखे हुए हैं। जबकि डॉ० अम्बेडकर सम्पूर्ण विश्व के महानायक हैं। मेरे अनुसार, डॉ० अम्बेडकर को 'संविधान निमाता', 'दलितो ने नेता' के अतिरिक्त 'भारतीय नारीवाद का चेहरा' एवं 'महिला आन्दोलन का प्रतीक चिह्न' भी होना चाहिए। डॉ० अम्बेडकर अमर है।

जय हिन्द! जय अम्बेडकर!

Scanned with OKEN Scanner